उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या-223/2015/1088/38-1-2015-35(112)/2011
लखनऊ दिनांक: 09 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62एम/2008, दिनांक 05.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-08/2015-वे0आ0-2-190/दस-62एम/2008टी0सी0-1, दिनांक 03.03.2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त/कार्यरत अधिकारियों को वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने हेतु दिनांक 30.04.2015 को सम्पन्न "स्क्रीनिंग कमेटी" की बैठक में की गई संस्तुति के क्रम में श्री जगदीश प्रसाद रस्तोगी, मुख्य विकास अधिकारी, बागपत को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत दिनांक 17.08.2010 से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में रू0 37400-67000 ग्रेड वेतन रू0 8700 स्वीकृत किया जाता है।

उमा कान्त मिश्र
उप सचिव।

संख्या- 223/2015/1088(1)/38-1-2014, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
3- आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
4- जिलाधिकारी, बागपत।
5- कोषाधिकारी, बागपत।
6- संबंधित अधिकारी द्वारा-आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2
8- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in